एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए)

एशिया प्रशांत व्यापार करार जिसका पूर्ववर्ती नाम बैंकांक करार था, पर मंत्रिपरिषद् के प्रथम सत्र में 2 नवंबर, 2005 को बीजिंग, चीन में हस्ताक्षर किए गए थे । एस्कैप क्षेत्र के विकासशील देशों में टैरिफ रियायतों के आदान- प्रदान के जरिए व्यापार में बढ़ोत्तरी हेतु एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के अंतर्गत एक पहल के रूप में मूल करार पर 31 जुलाई, 1975 को हस्ताक्षर किए गए थे । यह करार पांच देशों अर्थात् बंग्लादेश, चीन जन. गण., भारत, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका के बीच लागू है । आज की तारीख तक व्यापार वार्ताओं के तीन दौर आयोजित हो चुके हैं ।

2. टैरिफ रियायतों का तीसरा दौर 01 सितंबर, 2006 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 89/2006- सीमाशुल्क द्वारा कार्यान्वित किया गया था जिससे वार्ताओं के सभी तीन दौरों में प्रदान की गई रियायतें समेकित हो गई हैं । एपीटीए के अंतर्गत उद्गम के संशोधित नियम दिनांक 31 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. 94/2006- सीमाशुल्क (गै.टै.) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं ।

3. करार का पाठ, उद्गम के नियम और टैरिफ रियायतों की राष्ट्रीय सूचियों का अन्य ब्यौरा वेबसाइट www.commerce.nic.in के व्यापार करार/पारगमन करार शीर्ष (उपशीर्ष- एशिया प्रशांत व्यापार करार) के अंतर्गत देखा जा सकता है ।